बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

संचिका सं०–स्था०2/24–01/2013(खंड) 2038 /पटना, दिनांक 14.10.16

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
मुख्यमंत्री सचिवालय,
बिहार, पटना।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त आवेदन पर कारवाई करने के संबंध में।

प्रसंगः– मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक–5701048 दिनांक 18.07.16 एवं योजना एवं विकास विभाग का पत्रांक 4189 दिनांक 12.08.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि श्री अंजनी कुमार संदर्भ संख्या–000122707160002 के आवेदन पर निदेशालय के द्वारा कृत कार्रवाई की सूचना संलग्न है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।
(पाँच प्रति मुल में)।

विश्वासभाजन

14.x.16

निदेशक

ज्ञापांकः– 2038 /पटना, दिनांक 14.10.16

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–4189 दिनांक 12.08.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

2. श्री सुदामा कुमार, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग के वेव साईट पर अप लोड करने हेतु।
3. श्री अंजनी कुमार, निलम्बित प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नः–यथोक्त।
(पाँच प्रति)।

14.x.16

निदेशक

09. Binod. 30-09-2016 14.10.16

अंजनी कुमार तथ्य विवरणी।

जिला पदाधिकारी,नालंदा के पत्रांक 2227 दिनांक–09.04.2016 द्वारा सूचित किया गया कि नालंदा जिला अन्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड में पदस्थापित श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय को एकंगरसराय थाना कांड संख्या 58/16 दिनांक 08.04.2016 में नामजद अभियुक्त बनाया गया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 53 ए०/53 सी० /64 बिहार उत्पाद(संशोधित) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामजद अभियुक्त श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय को गिरफ्तार कर उप कारा हिलसा में भेज दिया गया। जिला पदाधिकारी नालंदा द्वारा उक्त कृत्य के लिए श्री अंजनी कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। (छाया प्रति संलग्न)

2. जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा श्री अंजनी कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा प्राप्त होने पर निदेशालय के का०आ०सं० 113 ज्ञापांक–877 दिनांक 05.05.2016 द्वारा श्री अंजनी कुमार को 09.04.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया एवं निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर निर्धारित किया गया।(छाया प्रति संलग्न)
3. जिला पदाधिकारी, नालंदा ने अपने ज्ञापांक–2889 दिनांक 27.04.2016 द्वारा इस निदेशालय को सूचित किया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकंगरसराय ने अपने पत्रांक 688 दिनांक–12.04.2016 से प्रतिवेदित किया है कि श्री अंजनी कुमार प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय न्यायालय से जमानत मिलने के पश्चात दिनांक 12.04.2016 को 3. 45 बजे प्रखंड कार्यालय, एकंगरसराय में पुनः कार्य करने हेतु उपस्थित हुए है।(छाया प्रति संलग्न)
4. उपर्युक्त सूचना पर श्री कुमार के काराधीन अवधि दिनांक 09.04.2016 से 12.04.2016 के बाद उनके योगदान के पश्चात 13.04.2016 की तिथि से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(3)(1) के आलोक में निलंबन मुक्त किया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 9(3)(ii)के प्रावधानानुसार पत्र निर्गत की तिथि से पुनः निलंबित किया गया हैं का०आ०सं०–163 ज्ञापांक–1282 दिनांक–06.07.2016 की (छाया प्रति संलग्न)।
5. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 की कंडिका 3(i)(iii) में कहा गया है कि सरकारी सेवक ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो। श्री कुमार द्वारा कृत कार्य इस कंडिका का उल्लंधन है। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा राज्य में पूर्ण शराबबंदी पूरे संकल्प के साथ लागू हो गयी है। चूँकि यह सरकारी कार्यक्रम है अतः सरकारी सेवक का यह पूर्ण दायित्व है कि वह सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। श्री कुमार का यह कृत सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल पाया गया है। इस कारण श्री कुमार को पुनः निलंबित किया गया है।
6. श्री कुमार के विरूद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है अतएवं इन्हे तत्काल निलंबन मुक्त नहीं किया जा सकता है।

24/8/16

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

का0आ0सं0:–स्था01 / आ02–18 / 2016 113 / पटना, दिनांक– 05-05-

कार्यालय आदेश

श्री अंजनी कुमार, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय, नालंदा के थाना कांड संख्या–58 / 2016 दिनांक 08.04.2016 में नामजद अभियुक्त बनाया गया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 53ए / 53सी0 / 64 बिहार उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी एवं श्री कुमार को गिरफ्तार कर उप कारा, हिलसा में भेज दिया गया। अभियुक्त रहने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(2)(क) के तहत हिरासत में जाने की तिथि 09.04.2016 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. श्री कुमार का निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर निर्धारित किया जाता है। श्री कुमार के जेल में रहने की अवधि में निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति अपेक्षित नहीं होगी।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के प्रावधानों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(प्रमोद कुमार वर्मा)
निदेशक

ज्ञापांकः 877 / पटना, दिनांक 05-05-2016

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
2. जिला पदाधिकारी, नालंदा / मुंगेर।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, नालंदा / मुंगेर।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा / मुंगेर।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकंगरसराय, नालंदा।
6. श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय प्रखंड, नालंदा

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांकः 877 / पटना, दिनांक 05-05-16

प्रतिलिपिः श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला गोपनीय शाखा)

संचिका संख्या ..../ पत्रांक ..../गो0, दिनांक ..../2016

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

सेवा में,

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :— एकंगरसराय थाना कांड संख्या 58/16 दिनांक 08.04.2016 के नामजद अभियुक्त श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नालन्दा जिला अन्तर्गत, एकंगरसराय प्रखंड में पदस्थापित श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय के विरूद्ध थाना कांड संख्या 58/16 दिनांक 08.04.2016 में नामजद अभियुक्त बनाया गया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 53ए/53सी/64 बिहार उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामजद अभियुक्त श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय को गिरफ्तार कर उप कारा, हिलसा में भेज दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है।

विश्वासभाजन,
ह0/-
जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

ज्ञापांक 2227/गो0, बिहारशरीफ, दिनांक 09/04/2016

प्रतिलिपिः— जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— उत्पाद अधीक्षक, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

ई—मेल :—dm-nalanda.bih@nic.in
फैक्स सं0 :— 06112-235205(R), 236854(O)
दूरभाष सं0 :—06112-235204(R), 235203(O)
जिला बेवसाईट :—http://nalanda.bih.nic.in

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला गोपनीय शाखा)

संचिका संख्या ..../ पत्रांक ..../गो0, दिनांक ..../2016

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

सेवा में,

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :— एकंगरसराय थाना कांड संख्या 58/16 दिनांक 08.04.2016 के नामजद अभियुक्त श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में।

प्रसंग :— इस कार्यालय के पत्रांक 2227/गो0 दिनांक 09.04.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नालन्दा जिला अन्तर्गत, एकंगरसराय प्रखंड में पदस्थापित श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय के विरूद्ध थाना कांड संख्या 58/16 दिनांक 08.04.2016 में नामजद अभियुक्त बनाया गया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 53ए/53सी/64 बिहार उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा गिरफ्तार कर उप कारा, हिलसा में भेज दिया गया है। श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी थी।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकंगरसराय ने अपने पत्रांक 688 दिनांक 12.04.2016 से प्रतिवेदित किया गया है कि श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय, न्यायालय से जमानत मिलने के उपरान्त दिनांक 12.04.2016 को 03.45 बजे अप0 प्रखंड कार्यालय एकंगरसराय में पुनः कार्य करने हेतु उपस्थित हुए हैं।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन,
ह0/—
जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

ज्ञापांक 2809/गो0, बिहारशरीफ, दिनांक 20/4/2016

प्रतिलिपिः— जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालन्दा/प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकंगरसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

4261
02/05/16

ई-मेल :—dm-nalanda.bih@nic.in फैक्स सं0 :— 06112-235205(R), 236854(O)
दूरभाष सं0 :—06112-235204(R), 235203(O) जिला बेवसाईट :—http://nalanda.bih.nic.in

30

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

का0आ0सं0 स्था01/आ02--18/2016 166 पटना, दिनांक: 06-07

कार्यालय आदेश

श्री अजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय, नालंदा को थाना कांड संख्या--58/2016 दिनांक 08.04.2016 में नामजद अभियुक्त रहने एवं 53ए0/53सी0/61 बिहार उत्पाद संशोधित अधिनियम 2016 के आलोक में निदेशालय के का0आ0सं0 113 ज्ञापांक--877 दिनांक 05.05.2016 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(2) में निहित प्रावधानों के तहत कारावास में बन्द रहने की तिथि 09.04.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. श्री कुमार दिनांक 09.04.2016 से 12.04.2016 के अपराह्न तक कारावास में रहे तथा 12.04.2016 को अपराह्न में कारावास से बाहर आये। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर निर्धारित किया गया है। श्री कुमार के काराधीन अवधि दिनांक 09.04.2016 से 12.04.2016 के बाद उनके योगदान करने के पश्चात 13.04.2016 की तिथि से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(3)(i) के आलोक में निलंबन मुक्त किया जाता है।

3. श्री अंजनी कुमार प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एकंगरसराय संप्रति निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर को पत्र निर्गत की तिथि से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(3)(ii) के प्रावधानुसार पुनः निलंबित किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(प्रमोद कुमार वर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक :-- 1282 पटना, दिनांक : 06-07-16

प्रतिलिपि :-- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

*2 जिला पदाधिकारी, नालंदा/मुंगेर।

*3. कोषागार पदाधिकारी, नालंदा /मुंगेर।

*4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा/मुंगेर।

*5 प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकंगरसराय, नालंदा।

*6 श्री अंजनी कुमार,तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय, नालंदा संप्रति निलंबित

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

01603 स्था01 ; 08.06.2016; अंजनी कुमार